

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रुखाबाद

आजीवन कारावास

दिनांक 05.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अरूण कुमार पुत्र ग्रीश चन्द्र कटियार निवासी चादपुर कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स० 2583/2011 वाद संख्या 09/2012 धारा 302 भा०द०वि० कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्नर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 05.08.2025 को मा० न्यायालय एडीजे तृतीय कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी - श्री अनुज प्रताप सिंह



को०मो० हे०का० हरवेन्द्र सिंह



पैरोकार का० मुकेश पचोरी